भरतपुरी योजना गोण्डा के आवासीय भूखण्डों हेतु पंजीकृत आवेदकों के लिए

आवश्यक सूचना

''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की भरतपुरी योजना गोण्डा के आवासीय भूखण्डों हेतु पंजीकृत आवेदक जिन्होंने **दिनांक 06.04.2011** से **05.05.2011** तक के मध्य पंजाब नेशनल बैंक, बड़गांव गोण्डा में आवेदन पत्र जमा किया है, की सूची परिषद की **वेबसाइट upavp.com** पर तथा स्थानीय **सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 80 भरतपुरी योजना, गोण्डा** के सूचना–पट पर चस्पा कर दी गयी है। आवेदकगण अपना नाम व फार्म नम्बर तथा आरक्षित श्रेणी चेक कर सकते है। यदि कोई अन्तर है या आवेदक का नाम छूट गया है तो मूल चालान की प्रति एवं आरक्षण श्रेणी के प्रमाण पत्र सहित **सूचना प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अन्दर संशोधित करा लें** अथवा सूची में शामिल करा लें अन्यथा की स्थिति में परिषद का उत्तरदायित्व न होगा।''

''उपरोक्त पंजीकरण के सापेक्ष आवंटन हेतु प्रस्तावित **भरतपुरी योजना गोण्डा के 143 नग आवासीय भूखण्डों** का विवरण भी परिषद की वेबसाइट तथा **सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 80 भरतपुरी योजना, गोण्डा** के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है जिनमें प्रथमतः समाचार पत्र में तिथि प्रकाशित करा कर शासन/परिषद आदेशों के अनुरुप लाट्री द्वारा आरक्षण की श्रेणी का चिन्हीकरण किया जायेगा।''

आवास आयुक्त

परिषद से समस्या के निराकरण हेतु

डायल करें 1800-180-5333, 0522-2236803 (टोल फ्री)

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,

Website: http://www.upavp.com; E-mail: upavp@Sancharnet.in

ISO 9001:2000 UKAS